न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 123/2017

उनवान

ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री मालीराम अग्रवाल, जाति महाजन, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. किशन कुमार अग्रवाल पुत्र रामस्वरूप, जाति महाजन, निवासी 6, पन्ना लाल भास्क लेन, पुलिस थाना लिलुआ, जिला हावडा, कलकत्ता, पिन नंम्बर 711204
2. बलदेव पुत्र रामस्वरूप, जाति महाजन, निवासी 19, पन्ना लाल भास्क लेन, ज्यौति अपार्टमेन्ट, द्वितीय फ्लोर, फ्लेट नम्बर 201, लिलुआ, पुलिस थाना लिलुआ, जिला हावडा, कलकत्ता। पिन नंम्बर 711204
3. राजेश्वरी पुत्री रामस्वरूप, पत्नी श्री शंकर लाल अग्रवाल, जाति महाजन, निवासी 2सी, नेताजी सुभाष रोड, बिल्डींग नम्बर 3ए, फ्लेट नम्बर 22 लिलुआ, पुलिस थाना लिलुआ, जिला हावडा, कलकत्ता। पिन नंम्बर 711204
4. पूजा केडीया पुत्री रामस्वरूप, पत्नी श्री राजेश केडिया, जाति महाजन, निवासी 69/1, निमतला गेट, गली बिल्डिंग के पीछे, प्रथम फ्लोर, पुलिस थाना पोस्ट जोरावरगन, कलकत्ता। पिन नम्बर 700006
5. लल्लू प्रसाद पुत्र मुक्ति लाल, जाति महाजन, निवासी 83/2, नसकर पाडा रोड, गुरसुडी, हावडा, पश्चिम बंगाल।
6. राजेन्द्र पुत्र मुक्ति लाल, जाति महाजन, निवासी 83/2, नसकर पाडा रोड, गुरसुडी, हावडा, पश्चिम बंगाल।
7. अनिल कुमार पुत्र मुक्ति लाल, जाति महाजन, निवासी 83/2, नसकर पाडा रोड, गुरसुडी, हावडा, पश्चिम बंगाल।
8. मनोज पुत्र केदारमल, जाति महाजन, निवासी विष्णु वाटिका, फ्लेट नम्बर 5 ई ब्लॉक, 289, जी सी रोड, बैंलूर, हावडा, पश्चिम बंगाल।
9. कमला देवी पुत्री मालीराम
10. विमला देवी पुत्री मालीराम
11. सन्तोष देवी पुत्री मालीराम
12. पुष्पा देवी पुत्री मालीराम

    समस्त जाति महाजन, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्थी</u>

(अ0 धारा 88, 89, आर. टी. एक्ट)

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.15 14:23:50 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] दिनांक :– 24.02.2021

पत्रावली पेश हुई। वादी ने वाद पत्र प्रस्तु[illegible] न किया है कि वादी वाके ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जि[illegible] पेशा व्यक्ति हैं, जो काश्त कर अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण [illegible] चला आ रहा हैं।

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 कजो[illegible] के विधिक वारिसान हैं, वादी व प्रतिवादीगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार से हैं:–

Scanned with CamScanner

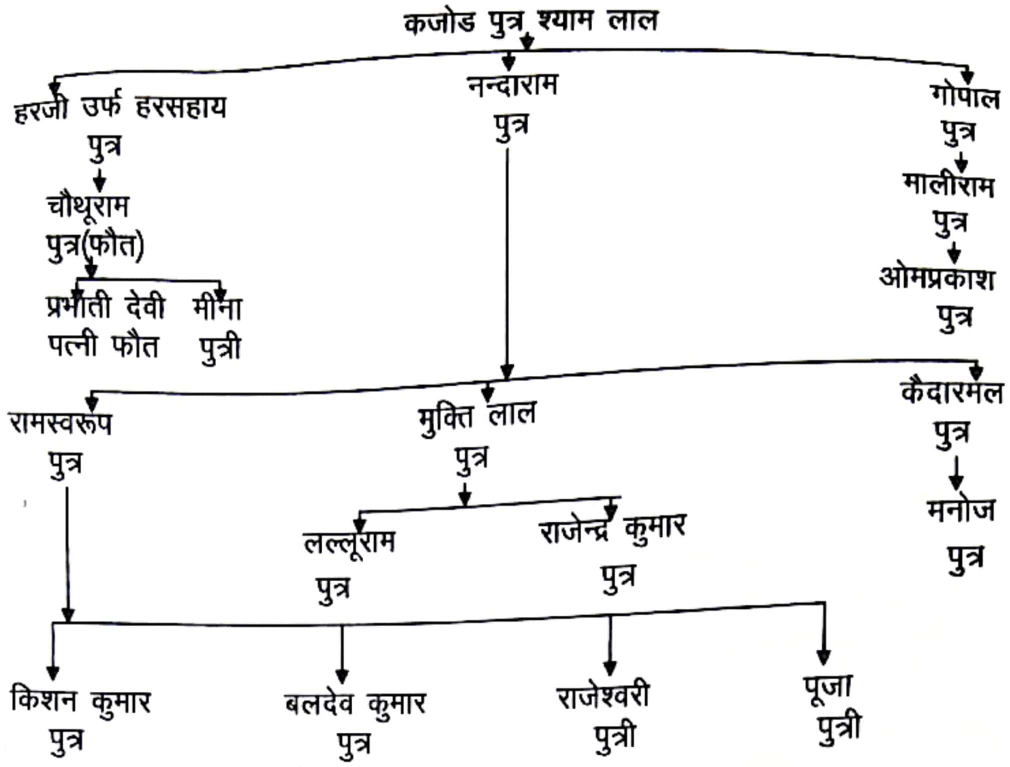

वाके ग्राम मोरीजा बी, तहसील चौमूं, पटवार हल्का मोरीजा बी, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मोरीजा, जिला जयपुर में स्थित गत खसरा नम्बर 1497 रकबा 11 एयर जिसके बने हाल खाता संख्या 244 के हाल खसरा नम्बर 3726 रकबा 0.11 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर, भूमि स्थित हैं। जिसमें वादी के पिता स्व. मालीराम का 1/3 हिस्सा निहित हैं। जिसमें वादी का हिस्सा 1/15 निहित हैं। उक्त आराजीयात ही वाद हाजा में विवादग्रस्त हैं, जिसे की वाद पत्र की अग्रिम मदों में भूमि विवादग्रस्त से सम्बोधित किया गया है।

मालीराम जो कि वादी के पिता थे तथा भूमि विवादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि हैं, जिसमें वादी के पिता मालीराम का 1/3 हिस्सा निहित हैं, जिस पर वादी मौके पर अपने हिस्सा 1/15 भाग पर काबिज काश्त होकर अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर हर प्रकार से उपयोग उपभोग कर, उपजों को प्राप्त कर लाभ उठाता चला आ रहा हैं।

भूमि विवादग्रस्त पर वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 अपने अपने स्वंय के हिस्से पर प्रतिवादीगण की जानकारी में मौके पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं, जिसकी जानकारी पूर्व से ही प्रतिवादीगण को रही हैं।

पूर्व में प्रतिवादीगण ने कभी वादी के हिस्से में कोई दखलन्दाजी कारित नहीं की, किन्तु अब भूमि विवादग्रस्त की बाजारू कीमतों में वृद्धि हो जाने से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के मन में कतई बेईमानी आने लगी हैं, तथा वे वादी को उसके कब्जे काश्त में उपयोग–उपभोग में दखलन्दाजी करने लगे हैं तथा [illegible] संख्या 1 ता 11 दिनांक 10–10–2017 को धमकी दी कि तुम्हारा कोई हिस्सा [illegible] में नहीं हैं [illegible] उक्त भूमि को हमने हमारे नाम राजस्व रिकार्ड [illegible] अपने हिस्से की ज्यादा भूमि पर काबिज होने लगे, अपने तब वादी ने कहा कि उक्त भूमि में मेरा भी हिस्सा निहित हैं, आप अपने हिस्से का उपयोग उपभोग करों, [illegible] को कोई आपत्ति नहीं हैं, किन्तु प्रतिवादीगण ने बेदखल करने की वादी को धमकी दी। जिस पर वादी ने अपनी भूमि के राजस्व रिकार्ड की जांच की तो वादी को ज्ञात हुआ कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.15 14:23:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पिता ने राजस्व कारकुनानों से मिलीभगत कर भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। इसलिये वादी को यह वाद पत्र पेश करना लाजमी आया हैं।

राजस्व रिकार्ड में सम्वत् 2037 से पूर्व के राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा का नाम अंकित था, किन्तु जब वादी के दादा का फौती नामान्तकरण खोला गया तो नन्दा के वारिसान को गोपाल के वारिसान बना दिया गया, जिससे जमाबन्दी में रामस्वरूप मुक्ति लाल, केदार, मालीराम पुत्रान गोपाल अंकित हो गया। जबकि सही स्थिति में रामस्वरूप, मुक्ति लाल, केदार पुत्रान नन्दा व मालीराम पुत्र गोपाल दर्ज होना चाहिये था।

नामान्तकरण संख्या 955 दिनांक 13–6–1981 के अवलोकन से पता चलता हैं कि वादी के सही सजरा खानदान उक्त रजिस्टर पर बनाया गया हैं, परन्तु इसी रजिस्टर में कॉलम नम्बर 11 कृषक का नाम व विवरण सहित गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। जिसको दुरूस्त किया जाना लाजमी हैं।

अतः वादी को निम्न अनुतोष प्रदान किये जावें कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्थी का डिकी किया जाकर भूमि विवादग्रस्त का वादी को पिता स्व० मालीराम के हिस्सा 1/3 में 1/15 भाग का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाते हुये, राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती वादी के नाम से की जाते हुये, वादी के नाम का तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज ररिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8, 13 बावजुद तलबी अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। शेष प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित है। प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 12 की ओर से सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। वादी की ओर से शपथ पत्र तहत आदेश 18 नियम 04 सी0पी0सी का पेश कर दावे में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं शपथ में बयान किया कि उक्त शपथ पत्र में लिखी इबारत वादी ओमप्रकाश जानकारी में सही एवं सत्य है। जिसके प्रत्येक पेज पर वादी ओमप्रकाश हस्ताक्षर है। वादी ओमप्रकाश ने इस पत्रावली में प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2056 से 2060 तक, प्रदर्श–2 मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2065 से 2089 तक, प्रदर्श–3 जमाबन्दी 2037–2040 तक, प्रदर्श–4 जमाबन्दी 2025–2029 तक, प्रदर्श–6 नामान्तकरण पंजीका संख्या 955, प्रदर्श–7 जमाबन्दी संवत 2037 से 2040 तक, प्रदर्श–8 जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 तक वर्तमान जमाबन्दी पेश की गई है। जिन पर प्रदर्श संख्या लाल स्याही से अंकित कर दी गई है। पत्रावली एवं दस्तावेजात्, का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई प्रकरण में तथ्य एवं परिस्थितियों, जवाब सहमति अनुसार उक्त त्रुटि को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होता हैं।

अतः वादी का वाद वादपत्र अनुसार डिक्री किया जाता हैं तथा वाके ग्राम मोरीजा बी, तहसील चौमूं, पटवार हल्का मोरीजा बी, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मोरीजा, जिला जयपुर में स्थित गत खसरा नम्बर 1497 रकबा 11 एयर जिराके बने हाल खाता संख्या 244 के हाल खसरा नम्बर 3726 रकबा 0.11 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर, भूमि विवादग्रस्त का वादी को पिता स्व० मालीराम के हिस्सा 1/3 में 1/15 भाग का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती वादी के नाम से की जाते हुये, वादी [illegible] तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश [illegible] डिक्री जारी हों। डिकी की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित [illegible]

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा सुनाया गया।

(अभिषेक सुराणा)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.15 14:23:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अभिषेक सुराणा (I.A.S)

उनवान

ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री मालीराम अग्रवाल, जाति महाजन, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. किशन कुमार अग्रवाल पुत्र रामस्वरूप, जाति महाजन, निवासी 6, पन्ना लाल भास्क लेन, पुलिस थाना लिलुआ, जिला हावडा, कलकत्ता, पिन नंम्बर 711204
2. बलदेव पुत्र रामस्वरूप, जाति महाजन, निवासी 19, पन्ना लाल भास्क लेन, ज्यौति अपार्टमेन्ट, द्वितीय फ्लोर, फ्लेट नम्बर 201, लिलुआ, पुलिस थाना लिलुआ, जिला हावडा, कलकत्ता। पिन नंम्बर 711204
3. राजेश्वरी पुत्री रामस्वरूप, पत्नी श्री शंकर लाल अग्रवाल, जाति महाजन, निवासी 2सी, नेताजी सुभाष रोड, बिल्डींग नम्बर 3ए, फ्लेट नम्बर 22 लिलुआ, पुलिस थाना लिलुआ, जिला हावडा, कलकत्ता। पिन नंम्बर 711204
4. पूजा केडीया पुत्री रामस्वरूप, पत्नी श्री राजेश केडिया, जाति महाजन, निवासी 69/1, निमतला गेट, गली बिल्डिंग के पीछे, प्रथम फ्लोर, पुलिस थाना पोस्ट जोरावरगन, कलकत्ता। पिन नम्बर 700006
5. लल्लू प्रसाद पुत्र मुक्ति लाल, जाति महाजन, निवासी 83/2, नसकर पाडा रोड, गुरसुडी, हावडा, पश्चिम बंगाल।
6. राजेन्द्र पुत्र मुक्ति लाल, जाति महाजन, निवासी 83/2, नसकर पाडा रोड, गुरसुडी, हावडा, पश्चिम बंगाल।
7. अनिल कुमार पुत्र मुक्ति लाल, जाति महाजन, निवासी 83/2, नसकर पाडा रोड, गुरसुडी, हावडा, पश्चिम बंगाल।
8. मनोज पुत्र केदारमल, जाति महाजन, निवासी विष्णु वाटिका, फ्लेट नम्बर 5 ई ब्लॉक, 289, जी सी रोड, बैंलूर, हावडा, पश्चिम बंगाल।
9. कमला देवी पुत्री मालीराम
10. विमला देवी पुत्री मालीराम
11. सन्तोष देवी पुत्री मालीराम
12. पुष्पा देवी पुत्री मालीराम
    समस्त जाति महाजन, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्थी

(अ0 धारा 88, 89, आर. टी.

Signature Not Verified

मुकदमा नम्बर :– 123/2017

Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.15 14:23:50 IST
Reason: SelfAttested

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल [illegible] वादी मिन जामिन मुददई रूबरू अभिषेक सुराणा आईएएस मिनजामिन मुददायलह [illegible] होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद वादपत्र अनुसार डिक्री किया जाता हैं वाके ग्राम मोरीजा बी, तहसील चौमूं, पटवार हल्का मोरीजा बी, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मोरीजा,

Scanned with CamScanner

मोरीजा बी, तहसील चौमूं, पटवार हल्का मोरीजा बी, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मोरीजा, जिला जयपुर में स्थित गत खसरा नम्बर 1497 रकबा 11 एयर जिसके बने हाल खाता संख्या 244 के हाल खसरा नम्बर 3726 रकबा 0.11 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर, भूमि विवादग्रस्त का वादी को पिता स्व० मालीराम के हिस्सा 1/3 में 1/15 भाग का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती वादी के नाम से की जाते हुये, वादी के नाम का तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। शेष हिस्सा बदस्तुर रहेगा। डिक्री की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 24.02.2021 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

मोहर

(अभिषेक सुराणा)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1		स्टाम्प वकालतनामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीसकमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	2	

नोटः—इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.15 14:23:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner